झारखण्ड विधान सभा

दैनिक विवरणिका

चतुर्थ झारखण्ड विधान सभा | दशम् (मॉनसून) सत्र

संख्या-04 | शुक्रवार, दिनांक-11 अगस्त, 2017 ई०।

समय-11.00 बजे पूर्वा० से 3.38 बजे अप० तक।

(माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।)

1. विविध चर्चायें:-

i- माननीय नेता प्रतिपक्ष, श्री हेमन्त सोरेन, माननीय सदस्या, श्रीमती सीता सोरेन एवं माननीय सदस्य, श्री लक्ष्मण टुडू ने पाकुड़ में पदस्थापित डॉ० हांसदा द्वारा लिखित पुस्तक में संथाली महिलाओं की आबरू के सम्बन्ध में अभद्र-अभद्र शब्दों का प्रयोग कर विस्तार से वर्णन किये जाने सम्बन्धी विषय की ओर आसन का ध्यान आकृष्ट किया एवं एतद् विषयक तथ्यों का प्रकाशन विभिन्न समाचार-पत्रों में होने से पक्ष एवं विपक्ष के माननीय सदस्य सकते में आ गये और एक स्वर से आरोपी चिकित्सक के विरूद्ध कठोरतम कार्रवाई किये जाने की माँग की गयी,

ii- माननीय सदस्य, श्री राधा कृष्ण किशोर ने दलित, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर डॉ० हांसदा की अविलम्ब गिरफ्तारी हेतु आसन के माध्यम से सरकार से आग्रह किया जिसका समर्थन माननीय वरिष्ठ सदस्य, श्री स्टीफन मराण्डी ने भी किया,

iii- माननीय संसदीय कार्य मंत्री, श्री सरयू राय ने सदन को अवगत कराते हुए स्पष्ट किया कि उन्होंने सम्बन्धित अखबार के सम्पादक से समाचार प्रकाशन के उपरांत वार्त्ता की है जिसमें उन्हें जानकारी दी गयी है कि वास्तव में उक्त पुस्तक **Porn literature** है जो पढ़ने योग्य नहीं है। अतएव उन्होंने सभा को आश्वस्त किया कि मान्य नियमों के तहत पुस्तक के लेखक चिकित्सक पर कठोरतम कार्रवाई की जायेगी।

आसन द्वारा माननीय प्रभारी मंत्री को एतद् विषयक विस्तृत प्रतिवेदन दिनांक-12.08.2017 को सदन में प्रस्तुत किये जाने हेतु निदेश दिया गया,

iv- माननीय सदस्य, श्री अमित कुमार ने अपने विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत सिल्ली प्रखण्ड के रामडेरा-टुंगरी में वन विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष-2013-14

क्र० पृ०उ०

के दौरान लौग-हट का निर्माण कराया गया था जिसमें पचास लाख रुपये खर्च किये गये थे जो अब ध्वस्त हो गये हैं, की जाँच हेतु आसन से आग्रह किया,

v- माननीय सदस्य, श्री कुणाल षडंगी ने राज्य के विभिन्न जिलों में जंगली हाथियों द्वारा मचाये जा रहे आतंक से रक्षा किये जाने की ओर आसन का ध्यान आकृष्ट किया,

vi- माननीय सदस्य, श्री योगेश्वर महतो ने दिनांक-05.08.2017 को अखबारों में प्रकाशित समाचार की ओर आसन का ध्यान आकृष्ट करते हुए आग्रह किया कि **NIIT** की सम्पन्न परीक्षा के तहत मेधा सूची में रहने और जाति प्रमाण-पत्र दिखाये जाने के बावजूद भी कतिपय छात्र-छात्राओं को काउंसिलिंग के लिए नहीं बुलाया जाना चिंता का विषय बताते हुए ऐसे छात्रों को काउंसिलिंग हेतु बुलाये जाने का आग्रह भी किया।

इसपर आसन द्वारा स्वास्थ्य विभाग के माननीय प्रभारी मंत्री को निदेश दिया गया कि वे इस सम्बन्ध में अपने अधिकारियों से वार्त्ता कर दिनांक-12.08.2017 को प्रथम पाली में सदन को जानकारी दें,

vii- गिरिडीह जिला के पीरटांड, भेलकट्टा गाँव में उग्रवादी कहकर मोतीलाल बास्को की गोली मारकर पुलिस द्वारा हत्या किये जाने की ओर आसन का ध्यान आकृष्ट करते हुए उनके आश्रित को नौकरी एवं मुआवजा दिये जाने हेतु माननीय सदस्य, श्री निर्भय कुमार शाहाबादी ने आग्रह किया। इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य, श्री जगरनाथ महतो ने भी अपने द्वारा ध्यानाकर्षण-प्रस्ताव दिये जाने की सूचना की ओर आसन का ध्यान आकृष्ट किया।

2.आसन से सूचना का दिया जाना:-

आसन द्वारा सदन को निम्न सूचना से अवगत कराया गया-

"दिनांक-01 जुलाई, 2017 से पूरे देश में वस्तु एवं सेवा कर की एकीकृत प्रणाली लागू हो गयी हैं आम बोल-चाल की भाषा में इसे जी०एस०टी० के नाम से जाना जाता है। यह कर प्रणाली नयी है। इसके अधीन एक केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर व्यवस्था के साथ-साथ दूसरी ओर राज्य माल एवं सेवा कर का प्रावधान किया गया है। इस कर प्रणाली के लागू होने के पूर्व से ही इसकी जटिलताओं को लेकर सवाल उठते रहे हैं। कल दिनांक-10 अगस्त, 2017 को सभा की कार्यवाही के दौरान माननीय नेता, प्रतिपक्ष सहित सभा के कई अन्य माननीय सदस्यों ने इस बात की आवश्यकता पर बल दिया है कि माननीय सदस्यों के लिए भी इस विषय को लेकर एक कार्यशाला आयोजित की जानी चाहिए, ताकि इस कर प्रणाली की प्रक्रियाओं की जानकारी प्राप्त की जा सके।

क्र०पृ०उ०

उक्त परिप्रेक्ष्य में आज द्वितीय पाली में सभा की कार्यवाही के समापन के उपरांत प्रोजेक्ट भवन स्थित नये सभागार में झारखण्ड विधान सभा के संसदीय अध्ययन एवं शोध कोषांग के तत्वावधान में एक कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें इस विषय के कतिपय
बुद्धिजीवियों एवं विशेषज्ञों को विचार-विमर्श के लिए आमंत्रित किया गया है। आप सभी

माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि इस कार्यशाला में उपस्थित होकर अपना ज्ञानवर्द्धन करने की कृपा करेंगे।''

3.विविध चर्चायें (क्रमांक-1 से जारी):-

i- माननीय सदस्य, श्री अनन्त कुमार ओझा एवं श्री शिवशंकर उरांव ने अपने-अपने क्षेत्रों में हाथियों द्वारा किये जा रहे आतंक की ओर आसन का ध्यान आकृष्ट किया और श्री उरांव ने प्रभावितों के हुए ध्वस्त मकानों को एक समय-सीमा के अन्दर बनाये जाने हेतु आग्रह भी किया,

ii- माननीय सदस्य, श्री नवीन जयसवाल ने राँची के हवाई अड्डे सड़क को बार-बार आर्मी द्वारा खोदे जाने से हो रही कठिनाईयों की ओर आसन का ध्यान आकृष्ट किया जिसे प्रभारी मंत्री द्वारा संज्ञान में लिया गया,

iii- माननीय सदस्य, श्री जीतू चरण राम ने जोन्हा फॉल के डेंजर जोन में फेंसिंग किये जाने हेतु आग्रह किया,

iv- माननीय सदस्य, श्री गणेश गंझू ने अपने विधान सभा क्षेत्र में गोलीकांड में मारे गये व्यक्ति के आश्रित को मुआवजा देने की माँग की,

v- माननीय सदस्य, श्री मनीष जायसवाल ने राज्य में नेटवर्क की समस्या के कारण जिला निबन्धन एवं परिवहन कार्यालयों में ठप पड़े कार्यों की ओर आसन का ध्यान आकृष्ट किया जिसे आसन के निदेश से माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने संज्ञान में लिया,

vi- माननीय सदस्य, श्री भानू प्रताप शाही ने अपने विधान सभा क्षेत्र में बालू घाटों पर तीन लोगों की हुई नृशंस हत्या की ओर आसन का ध्यान आकृष्ट करते हुए उनके आश्रितों को मुआवजा एवं नौकरी दिये जाने की माँग की,

vii- माननीय नेता प्रतिपक्ष, श्री हेमन्त सोरेन ने सरकार द्वारा बेचे जा रहे शराब के कार्य से शिक्षा विभाग एवं शिक्षकों को अलग रखे जाने हेतु आग्रह किया।

क्र० पृ० उ०

4.प्रश्नकालः-

आज के लिए निर्धारित तारांकित एवं अल्प सूचित प्रश्नों का व्यवस्थापन निम्नवत् हुआ-

(क)अल्प सूचित प्रश्नों की कुल संख्या-29

(i) उत्तरित कुल-04 अ०सू०-40, श्री मनीष जायसवाल, स० वि० स०,
अ०सू०-41, श्री प्रदीप यादव, स० वि० स०,
(आसन के निदेश से माननीय सदस्य, श्री आलमगीर आलम द्वारा उक्त प्रश्न पूछा गया।)
अ०सू०-42, श्री बिरंची नारायण, स० वि० स० एवं
अ०सू०-43, श्री अनन्त कुमार ओझा, स० वि० स०।

(ii) अनागत कुल-25 अ०सू०-44 से 68 तक।

(ख) तारांकित प्रश्नों की कुल संख्या-61

(i) उत्तरित कुल-09, तारांकित-141, श्री अमित कुमार, स० वि० स०,
तारांकित-142, श्रीमती मेनका सरदार, स० वि० स०,
तारांकित-143, श्री प्रकाश राम, स० वि० स०,
तारांकित-144, श्री केदार हज्रा, स० वि० स०,
तारांकित-145, श्री स्टीफन मराण्डी, स० वि० स०,
तारांकित-146, श्रीमती गंगोत्री कुजूर, स० वि० स०,
तारांकित-147, श्री चम्पाई सोरेन, स० वि० स०,
तारांकित-148, श्री जगरनाथ महतो, स० वि० स० एवं
तारांकित-149, श्री ग्लेन जोसेफ ग्लाॅस्टेन, स० वि० स०।

(ii) स्थगित मात्र-01 तारांकित-150, श्री स्टीफन मराण्डी, स० वि० स०।
(दिनांक-12.08.2017 के लिए)

(iii)अनागत कुल-51 तारांकित-151 से 201 तक।

5.शून्यकालः-

आसन द्वारा पुकारे जाने पर निम्नांकित माननीय सदस्यों द्वारा शून्यकाल की सूचनायें पढ़ी गयीं-

श्री नारायण दास,
श्री नागेन्द्र महतो,
श्रीमती गंगोत्री कुजूर,
श्री जय प्रकाश वर्मा,
श्री राजकिशोर महतो,
श्री अरुप चटर्जी,
श्री राज सिन्हा,
श्री अमित कुमार,

क्रमशः

श्री केदार हजरा,
श्री कुणाल षडंगी,
श्री राज कुमार यादव,
श्री इरफान अंसारी,
श्री पौलुस सुरीन,
श्री कुशवाहा शिवपूजन मेहता,
श्री जगरनाथ महतो,
श्री शिवशंकर उरांव,
श्री देवेन्द्र कुमार सिंह,
श्री अनन्त कुमार ओझा,
श्रीमती निर्मला देवी एवं
श्री बादल।

6.सूचनाओं का दिया जाना:-

i- **माननीय सदस्य, श्री फूलचन्द मण्डल ने धनबाद जिला अन्तर्गत चिरकुंडा थाना कांड संख्या-252/15, दिनांक-15.09.2015 के आलोक में वाहन मालिक की अविलम्ब गिरफ्तारी हेतु आसन का ध्यान आकृष्ट किया,**

ii- माननीय सदस्य, श्री अरुप चटर्जी ने केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के निमित्त शिलापट्ट पर ऊपर में माननीय सांसद एवं राज्य प्रायोजित योजनाओं के निमित्त शिलापट्ट पर माननीय विधायकों का नाम अंकित किये जाने हेतु अनुरोध किया और इस सम्बन्ध में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी निर्देश का भी उल्लेख किया। इसके उपरांत माननीय प्रभारी मंत्री, श्री नीलकण्ठ सिंह मुण्डा द्वारा स्थिति स्पष्ट करते हुए सदन को अवगत कराया गया कि माननीय सांसद की गरिमामयी उपस्थिति होती है,

iii- माननीय विधायक, श्री सुखदेव भगत ने कांग्रेस के माननीय विधायक, श्री इरफान अंसारी द्वारा अपनी बातें सदन में रखे जाने के क्रम में बाधा उत्पन्न किये जाने पर आपत्ति जतायी,

iv- माननीय सदस्य, श्री राम कुमार पाहन ने गेतलसूद बांध का पानी वहाँ के घरों में घुसने की ओर आसन का ध्यान आकृष्ट करते हुए राहत कार्य चलाये जाने हेतु आग्रह किया,

v- माननीय सदस्य, श्री इरफान अंसारी ने चार दिनों पूर्व पार्लियामेंट बोर्ड में योजनाओं के शिलान्यास में सांसद की तस्वीर लगाये जाने सम्बन्धी निर्णय की ओर आसन का ध्यान आकृष्ट किया।

7.ध्यानाकर्षण सूचनायें एवं उसपर सरकार का वक्तव्य:-

i- **माननीय सदस्य, श्री राधा कृष्ण किशोर द्वारा प्रस्तुत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना पढ़ी गयी जिसपर सरकारी वक्तव्य हुआ।**

(इस अवसर पर माननीय सदस्य, श्री इरफान अंसारी जुम्मे की नमाज अदा किये जाने हेतु सदन से बाहर गये। इसी क्रम में माननीय सदस्य, श्री स्टीफन मराण्डी द्वारा जुम्मे के दिन 12.30 बजे अप० तक सदन की कार्यवाही चलाये जाने हेतु आग्रह किया गया।)

(अन्तराल)

(माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।)

माननीय अध्यक्ष महोदय के आसन ग्रहण करते ही अन्तराल के पूर्व पाकुड़ के चिकित्सक, डॉ० हांसदा द्वारा अश्लील पुस्तक प्रकाशित किये जाने के मामले की ओर पुनः माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय सदस्य, श्री राधाकृष्ण किशोर एवं श्री निर्भय कुमार शाहाबादी द्वारा ध्यान आकृष्ट कराते हुए आसन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से कठोरतम कार्रवाई की माँग की गयी जिसपर संसदीय कार्य मंत्री द्वारा इस सम्बन्ध में दिनांक-12.08.2017 को सदन को प्रतिवेदित किये जाने हेतु आश्वस्त किया गया।

8.विधायी कार्य:-

(क) झारखण्ड लिफ्ट और एस्केलेटर विधेयक, 2017

माननीय प्रभारी मंत्री श्री सरयू राय द्वारा सभा की अनुमति से उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित किया गया।

पुरःस्थापनोपरांत माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त विधेयक पर विचार का प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

खण्डशः विचार के क्रम में विधेयक के खण्ड- 02 से 24, खण्ड-1, प्रस्तावना एवं नाम बारी-बारी से सभा की अनुमति से इस विधेयक के अंग बने।

माननीय प्रभारी मंत्री ने उपर्युक्त विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया तत्पश्चात् झारखण्ड लिफ्ट और एस्केलेटर विधेयक, 2017सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

(ख) झारखण्ड आधार (लक्षित वित्तीय एवं अन्य सहायिकी लाभ और सेवा प्रदाय) विधेयक, 2017

माननीय प्रभारी मंत्री श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी द्वारा सभा की अनुमति से उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित किया गया।

पुरःस्थापनोपरांत माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त विधेयक पर विचार का प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

खण्डशः विचार के क्रम में विधेयक के खण्ड- 02 से 09, खण्ड-1, प्रस्तावना एवं नाम बारी-बारी से सभा की अनुमति से इस विधेयक के अंग बने।

माननीय प्रभारी मंत्री ने उपर्युक्त विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया तत्पश्चात् झारखण्ड आधार (लक्षित वित्तीय एवं अन्य सहायिकी लाभ और सेवा प्रदाय)विधेयक, 2017 सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

कृ० पृ० उ०

(ग) कारखाना (झारखण्ड संशोधन) विधेयक, 2017

माननीय प्रभारी मंत्री श्री राज पलिवार द्वारा सभा की अनुमति से उपर्युक्त विधेयक को पुर:स्थापित किया गया।

पुर:स्थापनोपरांत माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त विधेयक पर विचार का प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

खण्डश: विचार के क्रम में विधेयक के खण्ड- 02 से 03, खण्ड-1, प्रस्तावना एवं नाम बारी-बारी से सभा की अनुमति से इस विधेयक के अंग बने।

माननीय प्रभारी मंत्री ने उपर्युक्त विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया तत्पश्चात् कारखाना (झारखण्ड संशोधन) विधेयक, 2017 सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

(घ) झारखण्ड चिकित्सा सेवा से संबद्ध व्यक्तियों, चिकित्सा सेवा संस्थान (हिंसा एवं सम्पत्ति नुकसान निवारण) विधेयक, 2017

माननीय प्रभारी मंत्री श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी द्वारा सभा की अनुमति से उपर्युक्त विधेयक को पुर:स्थापित किया गया।

पुर:स्थापनोपरांत विचार के क्रम में आसन द्वारा माननीय सदस्य, श्री आलमगीर आलम एवं श्री रवीन्द्रनाथ महतो से उक्त विधेयक पर प्राप्त संशोधन से सदन को अवगत कराया गया तत्पश्चात् उक्त माननीय सदस्यों के अतिरिक्त सर्वश्री, जीतू चरण राम, राधा कृष्ण किशोर, बिरंची नारायण, कुणाल षडंगी, अरुप चटर्जी, इरफान अंसारी, अशोक कुमार, मनीष जायसवाल, राम कुमार पाहन, ढुलू महतो, हरिकृष्ण सिंह एवं श्री शिवशंकर उरांव ने भी अपने-अपने विचारों को रखा तत्पश्चात् उक्त विधेयक को तीस दिनों के अन्दर विचार एवं प्रतिवेदन हेतु प्रवर समिति में सदन की सहमति से आसन द्वारा निदेश दिया गया। तदुपरांत सदन की कार्यवाही शनिवार, दिनांक-12 अगस्त, 2017 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की गयी ।

रॉंची,
दिनांक- 11, अगस्त, 2017 ई०।

बिनय कुमार सिंह,
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा।